::आदेश::

कोविड–19 संकमित मरीजो के उपचार से सम्बन्धित कतिपय चिकित्सालयों द्वारा आकस्मिकता की स्थिति में ऑक्सीजन की मॉग 04–05 घण्टे पूर्व की जा रही है, जो कि कदापि उचित नही है, जबकि ऑक्सीजन की मॉग कम से कम 24 घण्टे पूर्व की जानी चाहिए। ऑक्सीजन की मॉग मात्र 04–05 घण्टे पूर्व करने की स्थिति में कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है।

अतः जनपद के समस्त चिकित्सा प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 संकमितों के उपचार के दृष्टिगत ऑक्सीजन की मॉग कम से कम 24 घण्टे पूर्व नोडल अधिकारी, ऑक्सीजन के माध्यम से सुनिश्चित कर ले और यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होती है अथवा कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसके लिए सम्बन्धित चिकित्सा प्रबन्धन का उत्तरदायित्व निर्धारित कर तदनुसार कार्यवाही अमल में ला दी जायगी।

(डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या :3508 /सीपीओ–डीएम –2021 दिनांक :4 ,मई, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निजी सचिव, मा0 प्रभारी मंत्री, कोविड–19, देहरादून।
2– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
5– समस्त चिकित्सालयों के चिकित्सा प्रबन्धक/चिकित्सा अधीक्षक को अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।